न्यायालय सहायक कलक्टर नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

मुकद्मा नम्बर :–114/2018 दायरा दिनांक :28.08.2018

1. हरमुख
2. अमरचंद
   पिस0 मदनलाल जाति माली निवासी ग्राम बेरूं तहसील नगर जिला डीग वारिस काबिज जायदाद माता लक्ष्मी देवी
3. मदनलाल पुत्र चिरंजीलाल जाति माली निवासी बेरूं तहसील नगर जिला डीग।

------वादीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र बुद्वा जाति माली निवासी बेरूं तहसील नगर (मृतक)

1/1. मानसिंह

1/2. लालसिंह

1/3. परमलाल

पुत्रान किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम बेरूं तहसील नगर जिला डीग।

1/4. माया पुत्री किशनलाल पत्नी बलराम जाति माली निवासी हिसामडा तहसील वैर जिला भरतपुर।

1/5. किशनप्यारी पत्नी स्व0 किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम बेरूं तहसील नगर जिला डीग।

----- असल प्रतिवादीगण

2. तहसीलदार साहब तहसील नगर प्रतिनिधि राज0 सरकार

----- आवश्यक पक्षकार

3. मैनेजर शाखा पी.एन.बी. बेरूं तहसील नगर

----- प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री याम बाबू सेठी वादीगण।
2. अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गोयल प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/5

निर्णय दिनांकः–29.07.2025

वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा मे यह वाद इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 607/0.29 बाके ग्राम बेरूं तहसील नगर मे स्थित है। जिसके सबूत मे जमाबंदी संवत 2070 लगायत 2073 पेश की है। उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 की माता व वादी संख्या 3 की पत्नी मृतक श्रीमती लक्ष्मी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी, जिस पर वादीगण बतौर खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा शेष हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 किशनलाल का कब्जा काश्त है। आराजी मुतदाविया का विभाजन नही हुआ है। आराजी मुतदाविया का 1/2 हिस्सा लक्ष्मी देवी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद किया गया था। जो अभी तक वादीगण के नाम दर्ज नही हो पाया है, राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण की माता/पत्नी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। आराजी मुत0 के निष्फ हिस्से पर वादीगण बहिस्सा बराबर डिक्री डिक्लेरेशन खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

आराजी मुत0 पर काश्त करने मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की आपस मे नही पटती है तनाव रहता है कभी कोई किसी भी मे काश्त कर लेता है तो वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से आपसी बटवारा आराजी का करने को दिनांक 01.06.2015 को कहा कि आराजी के तरफ पूर्व रास्ता आम है सडक के लगा हुआ आधा–आधा हिस्सा पूर्व से पश्चिम विभाजित करने को कहा जिससे समान कीमत की दोनो पक्षो को रास्ते के सहारे की आराजी मिल जाये तो प्रतिवादी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। अतः दावा वादीगण डिक्री विभाजन करा पाने के अधिकारी है। अत यह घोषित किया जावे कि मृतक लक्ष्मी देवी की आराजी खसरा न0 607/0.29 के 1/2 हिस्से पर वादीगण का बहिस्सा बराबर बाके ग्राम बेरूं तहसील नगर पर काबिज बतौर वारिस दर्ज फरमाया जावे। तथा वादीगण व प्रतिवादी को सडक रास्ता के मध्य से पूर्व से पश्चिम निस्फ–निस्फ समान कीमत की विभाजित कराई जाकर कुरेबंदी डोल मेड कराकर अलग खातावंदी कराकर अलहैदा लगान कायम कराया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने हाजिर अदालत आकर जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण द्वारा यह दावा प्रतिवादी को महज तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है। विवादित आराजी खसरा नं0 607/0.29 बाके ग्राम बेरूं का सालिम का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी किशनलाल था जिसमे से प्रतिवादी ने वतरफ पूर्व का निस्फ हिस्सा अलग कर उत्तर से दक्षिण सालिम खसरा नम्बर के मध्य से एक डौल कायम कर ली और यह रकबा विभाजित कर दिया और मौके पर बोर लगाकर अपने निस्फ हिस्सा पर अपने रहने के लिये कच्चा घर बना लिया। इस रकबा के पश्चिमी तरफ का निस्फ हिस्सा ही मौके पर विभाजित कर प्रतिवादी किशनलाल ने लक्ष्मी पत्नी मदनलाल को बेचान किया व कब्जा दिया इसलिये वादीगण को अब विवादित खसरा नं0 को विभाजित कराने का कोई भी अधिकार नही है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस उपरान्त प्रकरण मे दिनांक 26.03.2025 को दावा वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नगर को आदेशित किया गया कि लक्ष्मी पत्नी मदनलाल के विधिक वारिसान की जांच करे यदि कोई वारिस पक्षकार मुकदमा नही हो तो उसे कुर्रेजात रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मे शामिल करते हुये विवादित आराजी खसरा नं0 607/0.29 बाके ग्राम बेरूं तहसील नगर का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी मे से अच्छी तथा बुरी मे से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) सरकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार तैयार कर यथाशीघ्र न्यायालय मे पेश करने बाबत आदेश प्रदान किये गए।

तहसीलदार नगर द्वारा वउनवानी प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्र कमांक/भू.अ./25/1986 दिनांक 16.06.2025 को न्यायालय हाजा को कुछ इस प्रकार से प्रेषित किये गए।

1. आराजी खसरा नं0 607/2/0.1450 किता 01 रकबा 0.1450 है0 लक्ष्मी पत्नी मदनलाल।
2. आराजी खसरा नं0 607/1/0.1450 किता 01 रकबा 0.1450 है0 किशनलाल पुत्र बुद्वा

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ सलंग्न नजरी नक्शा कुछ इस प्रकार से है।

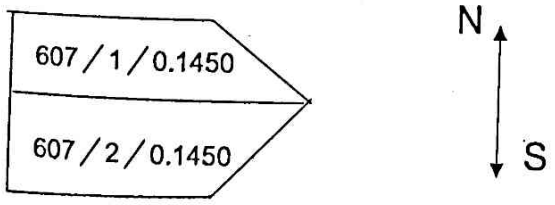

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया।

तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.06.2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–53 के नियम 18–21 के अन्तर्गत तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थिति बाबत पक्षकारान को सूचित करते हुये उपस्थित पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किये गये है। अत तहसीलदार नगर द्वारा प्रेषित कुर्रेजात प्रस्ताव नियमों के संदर्भ मे प्रमाणिक व सही प्रतित होती है। जिसके अनुसार वादी रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है। अत दावा वादीगण अन्तिम डिक्री किये जाने योग्य है।

:आदेश:

अत वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 16.06.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा न0 607/0.29 बाके ग्राम बेरूं तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग–अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. आराजी खसरा नं0 607/2/0.1450 किता 01 रकबा 0.1450 है0 लक्ष्मी पत्नी मदनलाल के विधिक वारिसान की जांच तहसीलदार नगर कर उनको खातेदार काश्तकार दर्ज करें।
2. आराजी खसरा नं0 607/1/0.1450 किता 01 रकबा 0.1450 है0 किशनलाल पुत्र बुद्धा के विधिक वारिसान की जांच तहसीलदार नगर कर उनको खातेदार काश्तकार दर्ज करें। राहिन हिस्सा पूर्ण पजांब नेशनल बैंक शाखा बेरूं।

नक्शे मे तरमीम इस प्रकार से की जावे।

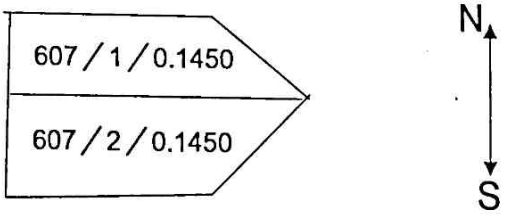

इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना) R.A.S.
सहायक कलेक्टर
नगर (डीग)